अध्याय III
सीमा शुल्क का गलत निर्धारण

3.1 फरवरी 2009 से सितम्बर 2011 की अवधि के अभिलेखों की नमूना जाँच (मार्च 2009 से जनवरी 2012) में हमने सीमा शुल्क के गलत निर्धारण के कुछ मामले पाए जिसमें ₹ 6.11 करोड़ का राजस्व समाहित था। उनकी चर्चा निम्नलिखित पैराग्राफों में की गई है।

एयरपोर्ट कोलकाता के निर्धारण अधिकारी ने उन विमानों के टैंकों में बचे ईंधन पर लागू शुल्क नहीं लगाया जिन्होंने विदेशी दौरा पूरा होने के बाद घरेलू दौरा किया था।

3.2 एक पोत या विमान पर शुल्क का भुगतान किए बिना आयातित किसी भी भंडार का उपभोग उस अवधि के दौरान वहाँ पर भंडार के रूप में कर लिया जाना चाहिए जब ऐसा पोत या विमान विदेश जाने वाला पोत या विमान हो (सीमाशुल्क अधिनियम 1962, की धारा 87)। जब ऐसे पोत या विमान को विदेशी दौरे के बाद तटीय दौरे के लिए परिवर्तित किया जाता है, तो उपरोक्त धारा 87 का प्रावधान लागू नहीं होता और घरेलू दौरे पर उस भंडार पर सीमाशुल्क लगता है।

3.3 सीमाशुल्क टैरिफ हेडिंग (सीटीएच) 2710 19 30, के अन्तर्गत वर्गीकरणीय हाई स्पीड डीज़ल आयल (एचएसडी) पर बीसीडी और अन्य शुल्कों के अलावा वित्त अधिनियम, 1999 की धारा 116 के अनुसार ₹ 2 प्रति लीटर की दर से सीमाशुल्क का अतिरिक्त प्रभार (1 मार्च 2005 से) लगता है। दिनांक 1 मार्च 2006 की यथा संशोधित अधिसूचना सं 4/2006-के.उ.शु. ₹ 2.60 प्रति लीटर की दर से तथा यदि एचएसडी की बिक्री बिना किसी ब्रांड नाम के की जानी हो (क्रम सं. 19 (i) और अन्यथा ₹ 3.75 प्रति लीटर की दर से सीवीडी लगाने का प्रावधान करती है (27 फरवरी 2010 से), (क्रम सं. 19 (ii)।

3.4 इसके अतिरिक्त, दिनांक 13 जुलाई 1994 की यथा संशोधित अधिसूचना सं. 151/1994-सी.शु.- सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 की धारा 3 के अन्तर्गत इंडियन एयरलाइनस के विमानों के टैंकों में ईंधन और लुबरिकेरिंग तेल जो की उसी प्रकार के ईंधन की बराबर मात्रा भारत से बाहर ले गए हो, अतिरिक्त शुल्क सहित सीमाशुल्क से छूट का प्रावधान निम्नलिखित शर्तों के अधीन करता है:-

(क) भारत से बाहर ले जाए गए ईंधन पर सीमाशुल्क और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क का भुगतान कर दिया गया था;

(ख) विमान के आगमन और प्रस्थान के समय ईंधन पर अतिरिक्त शुल्क सहित सीमाशुल्क की दर वही रही है;

(ग) प्रस्थान के समय ऐसे ईंधन पर सीमाशुल्क पर कोई फिरती या केन्द्रीय उत्पाद शुल्क पर छूट की अनुमति नहीं दी गई थी।

3.5 कोलकाता हवाई अड्डे से अन्तर्राष्ट्रीय उड़ान प्रारम्भ करते समय मै. एनएसीआईएल (इंडियन एयरलाइन्स) ने विमान के ईंधन टैंक में दत्त शुल्क पड़े भंडार

के अलावा मै. आईओसीएल और अन्य तेल कम्पनियों से शुल्क के भुगतान के बिना एविएशन टरबाइन ईंधन (एटीएफ) लिया। इसी प्रकार, वापसी यात्रा में, एयरलाइन ने नियमित रूप से बैंकाक, यंगून और काठमाण्डू में एटीएफ लिया। कोलकाता एयरपोर्ट पर इन फ्लाइटों के विदेशी दौरे की समाप्ति पर वे घरेलू फ्लाईटो में परिवर्तित हो गई थीं। तथापि, कोलकाता एयरपोर्ट पर सीमाशुल्क प्राधिकारी ने अन्तर्राष्ट्रीय फ्लाइट को घरेलू फ्लाइट में परिवर्तित होने के समय विमान में बचे आयातित एटीएफ पर शुल्क नहीं लगाया, और एयरलाइन ने भी उस पर किसी शुल्क का भुगतान नहीं किया। इस चूक के परिणामस्वरूप 3375.779 किलोलीटर के एटीएफ के आयात पर जनवरी 2009 से मार्च 2010 के दौरान ₹ 1.24 करोड़ का शुल्क नहीं लगाया गया।

3.6 आयुक्त सीमाशुल्क, कोलकाता प्राधिकारियों ने आपत्ति को स्वीकार करते हुए समय बताया (जून 2012) कि जनवरी 2009 से दिसम्बर 2011 की अवधि के लिए ₹ 2.93 करोड़ के शुल्क के लिए एयरलाइन को मांग ज्ञापन जारी कर दिया गया था (फरवरी 2012)। मंत्रालय से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (मार्च 2013)।

निर्धारण अधिकारी कोलकाता (पोर्ट) ने हाई स्पीड डीज़ल पर अतिरिक्त शुल्क नहीं लगाया जिसके कारण ₹ 7.77 लाख का शुल्क कम लगा।

3.7 मै. जे.एम. बक्शी एण्ड क. कोलकाता और नौ अन्यों ने उनके विदेशी दौरे से तटीय दौरे में परिवर्तित होने पर एचएसडी सहित आयातित शिप भंडार पर शुल्क के भुगतान के लिए कोलकाता (पोर्ट) आयुक्तालय में 21 बिल आफ एंट्री (बीईज) (नवम्बर 2009 और फरवरी 2011 के बीच) दर्ज किए। इन बीईज़ के निर्धारण के समय, निर्धारण अधिकारी ने आयातित एचएसडी पर ₹ 2 प्रति लीटर की दर से अतिरिक्त शुल्क नहीं लगाया। इसके अलावा, 21 में से 19 मामलों में निर्धारण अधिकारी द्वारा सीवीडी अधिसूचना सं. 4/2006- के.उ.श. की क्रम सं.19 (i) के अनुसार ₹ 2.60 प्रति लीटर की दर से लगाई गई थी। चूंकि तटीय दौरे के दौरान उपयोग किया गया आयातित एचएसडी "एक ब्रांड नाम के बिना बिक्री हेतु नियत "के विवरण का आशय पूरा नहीं करता यह उक्त अधिसूचना की क्रम सं. 19 (i) के अन्तर्गत कवर नहीं होता और उस पर ₹ 3.75 प्रति लीटर की दर से सीवीडी लगेगी। उपरोक्त दोनों मामलों में गलत निर्धारण के परिणामस्वरूप ₹ 7.77 लाख का कम शुल्क लगा।

3.8 आयुक्तालय अधिकारियों ने बताया (जुलाई 2012) कि प्रथम दृष्टया लेखापरीक्षा आपत्ति सही प्रतीत होती है और संबंधित बिल आफ एंट्री को अन्तिम रूप देते समय आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। मंत्रालय से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (मार्च 2013)।

निर्धारण अधिकारी ने अधिसूचना में ऐसा शुल्क लगाने का प्रावधान होने के बावजूद अन्तिम रूप देते समय आयात पर ₹ 3.41 करोड़ का एंटी डंपिंग शुल्क नहीं लगाया।

3.9 सीमाशुल्क टैरिफ के नियम 13 और 20 (2) (ए) (पहचान, निर्धारण और डम्पड वस्तुओं पर एंटी डिंम्पिंग शुल्क का संग्रहण और नुकसान का निर्धारण) नियम 1995

(एडीडी नियम) के साथ पठित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 की धारा 9ए के अनुसार, जहाँ अनंतिम शुल्क लगाया गया हो और नामित प्राधिकारी ने नुकसान का अन्तिम निष्कर्ष रिकार्ड कर लिया हो, अनंतिम शुल्क लगाने की तिथि से एंटी डम्पिंग शुल्क (एडीडी) लगाया जाएगा।

3.10 सीटीएच 28353100 के अन्तर्गत आने वाले "सोडियम ट्राइपोली फोस्टेट (एसटीपीपी), पीपल्स रिपब्लिक आफ चायना (चीन पीआर) में उत्पादित अथवा से निर्यातित या भारत में आयातित पर दिनांक 21 सितम्बर 2010 की अधिसूचना सं. 96/2010-सी.शु. के अन्तर्गत निर्धारित दरों पर अनंतिम एंटी डम्पिंग शुल्क लगती है। तदनन्तर, नामित प्राधिकारी के अन्तिम निष्कर्षों पर आधारित, दिनांक 8 जुलाई 2011 की अधिसूचना सं. 58/2011-सी.शु. द्वारा ऐसे आयातों पर निश्चित एडीडी अनंतिम एडीडी लगाए जाने की तिथि से पूर्व के साथ जोकि 21 सितम्बर 2010 तक लगाई जाती थी।

3.11 मै. अरडोर इन्टरनेशनल प्रा. लि. और अन्य तीन ने " सोडियम ट्रिपोली फासफेट (एसटीपीसी) (1369 एम.टी.) के 11 परेषण चीन से (अप्रैल/जून 2011) में जेएनसीएच के आयुक्तालय, मुंबई के माध्यम से आयात किये। तथापि, इन आयातों पर केवल मार्च 2011 तक प्रभावी मानी जाने वाली अन्तिम अधिसूचना सं.96/2010 के तहत एन्टी डीम्पिंग शुल्क नहीं लगाया। हमने पाया कि अधिसूचना 58/2011-सी.शु. के तहत अन्तिम एडीडी शुल्क लगने पर, उपर्युक्त आयात अन्तिम एण्टी डम्पिंग शुल्क लगाने की तारीख अर्थात 21 सितम्बर 2010 से निर्धारित दर पर एडीडी के लिए पूर्वतारीख से दायी है। तदनुसार, ये आयत कुल ₹ 3.41 करोड़ के एडीडी के लिए दायी थे। ये राशि आयातकों से वसूल की जानी थी।

3.12 सीमाशुल्क आयुक्त (निर्यात), जेएनसीएच प्राधिकारियों ने रिपोर्ट किया (जुलाई 2012) कि चार आयातकों को कम प्रभार मांग ज्ञापन जारी किए गए हैं। मंत्रालय का उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (मार्च 2013)।

3.13 सीटीएच 39021000 के अधीन आने वाला, ओमान, सउदी अरब और सिंगापुर में उत्पादित या से आयातित "प्रोलीप्रापीलीन" पर अधिसूचना संख्या 82/2009-सी.शु. दिनांक 30 जुलाई 2009 के तहत निर्धारित दरों पर अनन्तिम एन्टी डंम्पिंग शुल्क लगता है। तत्पश्चात् पदनामित प्राधिकारी द्वारा निकाले गये अन्तिम निष्कर्ष के आधार पर दिनांक 19 नवम्बर 2010 की अधिसूचना सं. 119/2010 के तहत पूर्वव्यापी प्रभाव, अनन्तिम एडीडी लगने की तारीख अर्थात 30 जुलाई 2009 से ऐसे आयातों पर निश्चित एडीडी लगाया गया।

3.14 जेएनसीएच, मुंबई आयुक्तालय के माध्यम से मै. सुप्रीम इण्डस्ट्रीज़ लि. और 11 अन्य ने "पोलीप्रापलीन" के 38 परेषण आयात किये (फरवरी से नवम्बर 2010)। इन 38 परेषणों में से 33 परेषण मै. ओमान पोलीप्रापलीन एलएलसी, ओमान द्वारा आपूर्त किये गये थे और पांच परेषण सिंगापुर से आयात किये गये थे। निर्धारण अधिकारी ने इन आयातों पर अनन्तिम अधिसूचना सं.82/2009 के तहत अन्तिम एन्टी डम्पिंग शुल्क नहीं

लगाया क्योंकि उस समय एन्टी डम्पिंग शुल्क "शून्य " माना गया। हमने पाया कि अधिसूचना सं. 119/2010-सी.शु. दिनांक 19 नवम्बर 2010 के तहत अन्तिम एन्टी डम्पिंग शुल्क लगाने के बाद उपर्युक्त आयात अनन्तिम एन्टी डम्पिंग शुल्क लगने की तारीख अर्थात 30 जुलाई 2009 से पूर्वव्यापी तारीख से एन्टी डम्पिंग शुल्क के लिए दायी थे। तद्नुसार इन आयातों पर ₹ 75.18 लाख की राशि की एडीडी उगाही योग्य हुई। ये राशि आयातकों से वसूलीयोग्य थी।

3.15 33 परेषणों (8 आयातकों) के संबंध में सीमाशुल्क आयुक्त और जेएनसीएच प्राधिकारियों ने बताया (मार्च 2012) कि मै. ओमान पोलीप्रापलीन एलएलसी पदनमित प्राधिकारी द्वारा एडीडी जांच के लिए सम्बद्ध पार्टी थी और एडीडी की "शून्य " दर के लिए दायी है। विभाग ने आगे बताया कि अधिसूचना सं.119/2010 के द्वारा एडीडी दर यूएसडी "शून्य " से ₹ 67.68 पीएमटी पूर्वव्यापी तारीख से बढाई गई थी और सीमाशुल्क टैरिफ (एडीडी) नियम, 1995 के नियम 21 के प्रावधानों के मद्देनज़र संग्रहीत नहीं किये जा सकते। उसमें यह निर्धारित था कि यदि पदनामित प्राधिकारी द्वारा की गई जांच के निष्कर्षों के आधार पर लगाया गया एडीडी लगाये गये और संग्रहीत अनन्तिम शुल्क से अधिक है तो विभेदक शुल्क आयातक से नहीं लिया जायेगा।

3.16 आयुक्तालय के प्राधिकारियों का उत्तर इस तथ्य में देखा जाना चाहिए कि संदर्भित 33 परेषणों पर कोई अनन्तिम एन्टी डम्पिंग शुल्क न तो लगाया गया और न ही संग्रहीत किया गया, तद्नुसार नियम 21 लागू नहीं होगा और नवम्बर 2010 की अन्तिम अधिसूचना में निर्दिष्ट दरों पर एडीडी लगाया एवं संग्रहीत किया जाना है।

3.17 तथापि, बाकी पांच परेषणों के संबंध में आयुक्तालय प्राधिकारियों ने नाटकीय ढंग से अलग दृष्टिकोण अपनाया और चार परेषणों के संबंध में पांच आयातकों से ₹ 19.83 लाख की वसूली बताई (जून/अगस्त 2012)। उन्होंने एक परेषण के लिए (मै. श्रेयास इण्डिया प्रा.लि.) को कम प्रभार मांग ज्ञापन भी जारी किया।

3.18 *मंत्रालय ने बताया (दिसम्बर 2012) कि नियम 21 "टैरिफ तथा व्यापार 1994 के सामान्य करार के अनुच्छेद VI के अनुपालन के करार " के अनुच्छेद 10.3 पर आधारित है। मंत्रालय ने आगे बताया कि "शुन्य " एण्टी डंपिंग डयुटी (एडीडी) अधिसूचना सं. 82/2009 के तहत उद्ग्रहित किया गया था जबकि प्रति मी.ट. यूएस $ 67.68 की दर से अन्तिम एडीडी अधिसूचना सं. 119/2010 के तहत लगाई गई थी, अतः उसकी वसूली नहीं की जा सकती।*

मंत्रालय के उत्तर की जांच इस तथ्य के संदर्भ में की जानी चाहिए कि अधिसूचना सं. 119/2010 विशेष रूप से अधिसूचना सं. 82/2009 के तहत अंतरिम एडीडी लगाने की तिथि से यूएस $ 67.68 की दर से एडीडी उद्ग्रहित करने का प्रावधान प्रदान करती है तथा जीएटीटी 1994 का अनुच्छेद VI ऐसे उद्ग्रहण की मनाही नहीं करता। मंत्रालय को यह स्पष्ट करना चाहिए कि यदि अन्तिम एडीडी का संग्रहण नहीं किया जा सकता तो, अधिसूचना सं. 119/2010 के प्रावधान कैसे लागू किए जायेंगे।

निर्धारण अधिकारी ने एन्टी डम्पिंग शुल्क को लगाये बिना आयातों की निकासी की।

3.19 सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 9ए के अनुसार जहां कोई वस्तु उसके सामान्य मूल्य से कम पर किसी देश से आयात की जाती है तो ऐसे वस्तु के भारत में आयात के बाद, केन्द्र सरकार को अधिसूचना के द्वारा एन्टी डम्पिंग शुल्क लगा सकती है। तदनुसार समय-समय पर "पोलीटेट्रा फ्लोरोथाइलीन (पीटीएफई) और पोलीप्रापलीन जैसे माल पर एन्टी डम्पिंग शुल्क लगाया जाता है जब वे विनिर्दिष्ट देशों जैसे चीन, ओमान, शिंगापुर से आयात किये जाते हैं।

3.20 हमने पाया कि निर्धारण अधिकारियों ने वै. जनेक्सट फ्लोरोथोलीमर्स और अन्य छः द्वारा इन निर्दिष्ट देशों से आयातित ऐसे माल के छः परेषणों को ₹ 27.57 लाख की उगाही योग्य एन्टी डम्पिंग शुल्क लगाये बिना निकासी की।

3.21 सीमाशुल्क आयुक्त (आयात), जेएनसीएच, मुम्बई प्राधिकारियों ने कम उगाही स्वीकार की और दो आयातकों (मै. जनेक्सट फ्लोरोपोलीमर्स एण्ड मै. गाबा ओवरसीज़ प्रा.लि.) से ₹ 24.45 लाख की वसूली की सूचना दी बाकी पांच आयातकों को मांग ज्ञापन जारी किये।

3.22 *मंत्रालय ने सूचित किया (जनवरी/फरवरी 2013) कि बाकी शुल्क तथा ब्याज की वसूली के प्रयास किए गए थे।*

कोलकाता आयुक्तालय गोदामों में तैनात सीमाशुल्क कर्मचारियों के लिए लागत शुल्क की वसूली करने में असफल रहा।

3.23 गोदाम में निर्माण और अन्य कार्यों के अधिनियम 1966 के नियम 4(V) के अनुसार माल गोदामों का कोई भी मालिक गोदामों में विनिर्माण के नियंत्रण और अन्य कार्यों के पर्यवेक्षण के लिए तैनात सीमाशुल्क कर्मचारी की लागत वहन करेंगे। इसके अतिरिक्त वित्त मंत्रालय द्वारा जारी अनुदेशों के पत्र सं एफ.एन.ए-11018/9/91/-एडी (IV) दिनांक 1 अप्रैल 1991 के अनुसार इस संदर्भ में सृजित पदों की लागत की वसूली डीए, सीसीए आदि की मासिक औसत लागत से 1.85 गुणा अधिक के आधार पर निर्धारित की जानी है।

3.24 मै. भारती शिपयार्ड लि., मै. एयर इंडिया लि. तथा मै. एयर इंडिया चार्टरस लि. ने कोलकाता में अपने बोंडेड गोदामों में सीमाशुल्क पर्यवेक्षण कार्य निष्पादित करने के लिए सीमाशुल्क अधिकारियों की सेवा प्राप्त की थी। यद्यपि अधिकारियों के लिए वसूली लागत की दरें 1 जनवरी 2006 से प्रभावी छठे केन्द्रीय वेतन आयोग रिपोर्ट के कार्यान्वयन के कारण अगस्त 2008 से बढ़ा दी गई थी, विभाग ने अगस्त 2008 के बाद भी भी अपने अधिकारियों द्वारा इन पक्षों को प्रदान की गई सेवा के लिए पर्यवेक्षण शुल्क की पुरानी दरों से वसूली की। इस प्रकार मै. एयर इंडिया लिमिटेड से 1 जनवरी 2006 से प्रभावी बढ़ी लागत पर पर बकाया शुल्क की वसूली न होने से जनवरी 2006 से जून 2010 तक की अवधि के लिए ₹ 10 लाख पर्यवेक्षण शुल्क की राशि की वसूली कम हुई।

3.25 कोलकाता आयुक्तालय के आयात बॉन्ड विभाग प्राधिकरण ने बताया कि इन शुल्कों की गणना आयुक्तालय के लेखा विभाग द्वारा की गई थी और तद्नुसार लेखापरीक्षा निष्कर्ष उनके (लेखा विभाग) से सत्यापित किया जा रहा है। मंत्रालय से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (मार्च 2013)।

निर्धारण अधिकारी ने निर्यात पर शिक्षा उप कर की उगाही की।

3.26 9 जुलाई 2004 से लागू दो प्रतिशत का शिक्षा उपकर वित्तीय अधिनियम 2004 की धाराओं 91, 92 तथा 94 के अनुसार और 1 मार्च 2007 से लागू एक प्रतिशत की दर से माध्यमिक उच्च शिक्षा उपकर वित्तीय अधिनियम, 2007 की धारा 136, 137 तथा 139 की धाराओं के अनुसार लगाया गया, दोनों सीमाशुल्क अधिनियम, 1975 की पहली अनुसूची में निर्दिष्ट माल पर जब भारत में आयात किए गए उगाही होने योग्य है। निर्यात हेतु माल सीमाशुल्क दरों की दूसरी अनुसूची में निर्दिष्ट है और इस प्रकार ये शुल्क के रूप में उगाही योग्य नहीं है।

3.27 वित्त मंत्रालय ने अपने अनुवर्ती कार्रवाई ज्ञापन में पाराद्वीप बन्दरगाह (2009-10 की अनुपालन लेखापरीक्षा रिपोर्ट सं. 14 का पैरा 3.9) से निर्यातों पर अनुचित उगाही तथा ऐसे उपकर को लगाने तथा उसके संग्रहण के लेखापरीक्षा निष्कर्ष में निर्यातों पर अनुचित उगाही तथा ऐसे उपकर को लगाने तथा उसके संग्रहण के लेखापरीक्षा निष्कर्ष स्वीकार किया था और यह भी बताया कि, संबंधित निर्यातकों द्वारा प्रतिदायों दावों के भरे जाने पर निर्णय अधिनियम 1962 सीमाशुल्क की धारा 27 के प्रावधानों के अनुसार होगा और यदि प्रतिदाय की मंजूरी दी गई, तो प्रतिदाय की राशि कुल संग्रहित राजस्व से घटा दी जाएगी। मंत्रालय की एटीएन के बावजूद उगाही जैसा नीचे बताया गया, जारी है:-

3.28 हमने देखा कि कस्टम हाऊस पाराद्वीप में निर्धारण अधिकारियों ने भुवनेश्वर-1 आयुक्तालय के अंतर्गत महादीपुर तथा हिली कस्टम लेन्ड स्टेशन और प.बंगाल (निरोधी) के अंतर्गत मालदा कस्टम प्रभाग में शिक्षा उपकर, एवं उच्च शिक्षा उप कर न केवल आयात पर एकत्र किया, बल्कि निर्यातों पर भी एकत्र किया, यद्यपि निर्यात माल कस्टम टैरिफ को दूसरी अनुसूची में निर्दिष्ट किया गया है, और इसलिए ऐसी उगाहियां नहीं होनी थी। फरवरी 2009 से सितम्बर 2011 की अवधि के दौरान निर्यात माल पर ₹ 25.32 लाख की राशि की उपकर की गलत उगाही हुई।

3.29 कोलकाता के सीमाशुल्क आयुक्त (निरोधात्मक) ने निर्यात माल पर शिक्षा उपकर की असावधनीवश उगाही स्वीकार करते हुए बताया (अक्तूबर 2011/जुलाई 2012) कि आगे से वित्तीय अधिनियम, के अनुसार प्रक्रिया का सख्ती से पालन किया जाएगा। हालांकि विभाग ने तर्क दिया कि निर्यातकों ने ऐसे उपकर का स्वेच्छा से भुगतान किया था तथा उनमें से किसी ने भी ऐसी उगाही के विरूद्ध कोई आपत्ति नहीं जताई अथवा उगाही के लिए न ही प्रतिदाय का दावा किया। प्राधिकारियों ने यह भी कहा कि प्रतिदाय की कोई संभावना नहीं थी। (क्योंकि यह पहले से ही समयबाधित था) और सरकार को राजस्व की कोई हानि नहीं हुई।

3.30 *मंत्रालय ने टिप्पणी को स्वीकार किया (दिसम्बर 2012) तथा सीमाशुल्क आयुक्त (निवारक) पश्चिम बंगाल कोलकाता की बात को दोहराया।*

3.31 *लेखापरीक्षा इस बात पर कायम है कि सभी निर्यातकों/आयातकों को आईसीईएस/आरएमएस प्रदान की जाने तथा पश्च लेखापरीक्षा उपायों को भी सुदृढ़ करने की आवश्यकता है।*